तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 18/7/22 को पेश हो ।
18/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहा! उक्त आचरण प्रकरण, प्रार्थी की प्रकरण हाजरी व प्रकरण पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान सहायक कलक्टर ,एस डी ओ मह[illegible]
गुडामालानी ।

प्रार्थी:—

1. देवाराम उर्फ देदाराम पुत्र सिमरथाराम उम्र 55 वर्ष
   जाति जाट साकिन ढीमडी तहसील गुडामालानी
   जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. तुलसाराम पुत्र श्री सिमरथाराम उम्र 60 वर्ष
2. रामाराम पुत्र श्री सिमरथाराम उम्र 45 वर्ष
   जाति जाट साकिन ढीमडी
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
3. मैनेजर एस बी आई बैक शाखा गुडामालानी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठि[illegible]</u>

<u>आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908</u>

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थी का निम्न प्रकार है :—

1. कि प्रार्थी ने तहसील गुडामालानी के मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 58 क्षेत्रफल [illegible] हैक्टेयर किस्म बा. दोयम व खसरा नम्बर 54/1 क्षेत्रफल 7.1225 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है को अपनी खातेदारी [illegible] के सारभूत आधारो पर एक वाद माननीय न्यायालय मे दायर किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है ।

आनि
देवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested

2. कि आराजी के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टिया के आधार पर प्रार्थी का उपरोक्त विवादित आराजी तहसील गुडामालानी के मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 58 क्षैत्रफल 1.4811 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम व खसरा नम्बर 54/1 क्षैत्रफल 7.1225 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है मे प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त मे किसी भी प्रकार का विप्रार्थीगण हस्तक्षेप न करे तथा प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे अगर उक्त विवादित आराजी मे से प्रार्थी को विप्रार्थीगण बेदखल करने मे सफल होते है तो उससे प्रार्थी को भारी अपूरणिय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन करना प्रार्थी के लिऐ सम्भव नही है ।

3. कि समस्त परिस्थितियो मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है ।

अतः आवेदन मय शपथ पैश कर निवेदन है कि विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के निर्णय तक मण्डल मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 58 क्षैत्रफल 1.4811 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम व खसरा नम्बर 54/1 क्षैत्रफल 7.1225 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है, प्रार्थी के हक हिस्से अनुरूप रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे तथा उक्त आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप नही करे ।

इति प्रमाण
10.1.22

निशानी देवाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested